आर.ए.एस.

क्रमांक / कोर्ट / 2021 / 742

सरकार

—::बनाम::—

अप्रार्थीगण:—

अनोपाराम वगैरा।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

अप्रार्थी संख्या चेनाराम पुत्र मोमताराम, सगराम पुत्र बुद्धाराम, काली पत्नी चेनाराम की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज.–6 / 2021 / पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021</u>

—::निर्णय::—

दिनांक:— 12/3/22

तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक अभिशंषा तहसीलदार ओसियां का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार पटवार मण्डल भेड़ के ग्राम जम्भेश्वरनगर व हनुमाननगर तहसील ओसियां, के खसरा नम्बर 233, 1072 / 3, 1072 / 8, 1072 / 2, 1072 / 10, 1072 / 9, 1072 / 4, 1072 / 5, 1072 / 6, 1072 / 1, 1072 / 11, 1072, 1072 / 10 में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 01.11.2021 को जारी किये जिसके विरूद्ध में अप्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

भू–अभिलेख निदेशक जोधपुर में राजस्व अपील संख्या 255/2021 अनवान चेनाराम वगेरा बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 2021/742 अनवान राज. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां बनाम अनोपाराम वगैराह में दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध पेश की जिस पर अपीलान्ट न्यायालय ने दिनांक 29.12.2021 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाकर ऑब्जेर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थीगण की रकवा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो पुनः नये सिरे से 1 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण के अंतिम निर्णय तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति भी बनाई रखी जावें।

अपीलान्ट न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावली को दर्ज की गई अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के बीच में से रास्ता निकाल दिया जिससे अप्रार्थीगण की भूमि दो भागो में विभाजित हो गई है तथा अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य में से रास्ता निकालने से अनावश्यक रूप से परेशानिया होगी तथा अप्रार्थीगण कृषि कार्य करते है तो बीच में रास्ता होने के कारण अनावश्यक रूप से आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान होगा तथा सिंचाई करने में भी समस्या होगी, रास्ते के दोनों ओर तारबन्दी करनी पड़ेगी, इस प्रकार हर तरह से अप्रार्थीगण को परेशानी होगी। इसलिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1072/5 की भूमि की दक्षिणी सीमा पर रास्ता निकालने का आदेश पारित करने की कृपा करावें। अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with CamScanner

गह है कि बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

—::आदेश::—

अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश क्रमांक/कोर्ट/2021/742 दिनांक 1.11.2021 में आंशिक संशोधन कर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1072/5 के बीच में से जो रास्ता दर्ज किया गया उसे निरस्त किया जाकर नय सिरे से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1072/5 के दक्षिण दिशा पर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के बिन्दू ए से बिन्दू पर रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग समझा जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner